सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 07/2015

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री भागीरथ पुत्र ईश्वरलाल जाति नाई निवासी गुलखेडी तहसील छीपाबडौद जिला बारां

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. काश्तकारी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970

उपस्थितिः 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

2. श्री गोविन्द सिंह लक्षावत अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 28.06.2019

प्रार्थी राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारां द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. काश्तकारी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हरनावदी जागीर की आराजी खसरा न0 192/131 रकबा 8.00 बीघा भूमि मुताबित राजस्व रिकार्ड के भीगीरथ पुत्र ईश्वरलाल जाति नाई निवासी गुलखेडी तहसील छीपाबडौद जिला बारां को दिनांक 18.01.1963 को आवंटन की गई थी। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा आज नही है। आवंटी ने आवंटन की शर्तो का पूर्ण पालन नही किया है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 04.12.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नही कर अंतिम बहस सुने जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान कथन किया कि दिनांक 18.01.1963 को अप्रार्थी को ग्राम हरनावदी जागीर की आराजी खसरा न0 192/131 रकबा 8.00 बीघा भूमि मुताबित राजस्व रिकार्ड के भीगीरथ पुत्र ईश्वरलाल जाति नाई निवासी गुलखेडी तहसील छीपाबडौद जिला बारां को आवंटन की गई थी। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा आज नही है। आवंटी ने आवंटन की शर्तो का पूर्ण पालन नही किया है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

इसके विपरीत अप्रार्थी अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अप्रार्थी को आवंटन की गई भूमि पत्थरीली होने के कारण फसल की पैदावार नही होती है। जिसके कारण अप्रार्थी को प्रतिवर्ष फसल में नुकसान ही होता है। इसे आधार बनाकर पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन आदेश बहाल रखा जावे।

हमने बहस प्रार्थी पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी के अभिभाषक की बहस को सुना व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे जाहिर होता है कि दिनांक 18.01.1963 को अप्रार्थी को आवंटन शुदा भूमि ग्राम हरनावदी जागीर की आराजी खसरा न0

192/131 रकबा 8.00 बीघा भूमि मुताबित राजस्व रिकार्ड के भीगीरथ पुत्र ईश्वरलाल जाति नाई निवासी गुलखेडी तहसील छीपाबडौद जिला बारां को आवंटन की गई थी। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो पूर्ण रूपेण पालन नही किया है। आवंटन दिनांक 18.01.1963 को हुआ था। उक्त भूमि पर कब्जा अप्रार्थी का कब्जा आज नही है। अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में आवंटित भूमि पर काश्त करने सम्बन्धी पुष्टि हेतु दस्तावेज/साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किये गये है।

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि आवंटी का आवंटन शुदा भूमि पर कब्जा नही है। उसके द्वारा आवंटन की शर्तो का पालन नही किया गया है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी अपना कब्जा सिद्व नही कर पाया है। परिणाम स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी भीगीरथ पुत्र ईश्वरलाल जाति नाई निवासी गुलखेडी तहसील छीपाबडौद जिला बारां को अन्तर्गत नियम 14(4) राज. काश्तकारी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत किया गया आवंटन आदेश दिनांक 18.01.1963 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारां